

From,

A. K. Tiwari  
Chief Environmental Officer,  
Circle-1, U.P.Pollution Control Board,  
Lucknow.

To,

The Registrar ,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi

**Circle-1**

**Dated. 01-08-2019**

Sub: Regarding submission of Compliance report in OA no. 195/2019 D.P.  
Mishra Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

In compliance of order dated 16-04-2019 passed by this Hon'ble Tribunal in OA no. 195/2019 D.P. Mishra Applicant(s) Versus State of Uttar Pradesh Respondent(s)., the compliance Report in respect of above mentioned matter is enclosed herewith along with annexures.

Yours faithfully

Encl: As above.

  
(A. K. Tiwari)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 195/2019

IN THE MATTER OF:

D.P. Mishra

..... Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

.....Respondent(s)

COMPLIANCE REPORT PURSUANT TO ORDER DATED  
16-04-2019

1. In the matter of Original Application No. 195/2019 D.P. Mishra Applicant(s) Versus State of Uttar Pradesh Respondent(s) Hon'ble National Green Tribunal passed an order on 16-04-2019, Hon'ble Court directed;

"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is that distilleries in Uttar Pradesh are frequently draining effluents in canal, river and public water ponds against the prescribed norms. They do not have proper Effluent Treatment Plants (ETPs). Though the letter does not give specific details, pollution by distilleries is a known fact if they do not use effective ETPs and discharge untreated effluents in open. Before considering the matter, we require the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB) to furnish a factual and action taken report about the status of untreated effluents being discharged by the distilleries and remedial actions by the industries. Such report may be furnished within two months by e-mail at [ngt.filing@gmail.com](mailto:ngt.filing@gmail.com)."

2. That it is submitted that in State of Uttar Pradesh there are 68 Distillery units (Distillery and fermentation units-63 and only bottling plants-05). Out of these, at present 07 units are self closed due to their own reasons list of self closed distilleries is enclosed as **Annexure-I**.



3. That it is submitted that UPPCB is regularly monitoring the distillery units. UPPCB has issued direction to all distilleries to ensure proper Effluent Treatment Systems so as to maintain Zero Liquid Discharge (ZLD) by concentrating the Spent-Wash followed by incineration/bio composting methodology as per the CPCB charter. 11 distillery units have been closed by UPPCB and CPCB (UPPCB-07 and CPCB-04) as they were not complying with the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Environmental (Protection) Act, 1986 as per the directions issued by the SPCB/CPCB. List of these closed industries is annexed as **Annexure-II**.
4. That it is submitted that all operational distilleries and fermentation units have proper Effluent Treatment Systems to maintain Zero Liquid Discharge (ZLD) by concentrating the Spent-Wash followed by incineration/bio-composting methodology as per the CPCB charter. Board has also issued directions to all distillery units to install CCTV camera in suitable locations to check level of spent wash stored in the lagoon and to check proper operation of bio-compost yard. The SPCB has set up a control room at Head Office Lucknow and the camera feed is manually scrutinized by the trained staff regularly. UPPCB is regularly monitoring the distillery units. On the basis of field inspection and central control room data, 14 units were found non complying with respect to level of spent wash in lagoon over the red mark/spillage of spent wash in the year 2018-19. Environmental Compensations (EC) of Rs.1,56,20000/-(Rs. One Crore Fifty Six Lakh Twenty Thousand only) has been imposed and Show Cause Notices have been issued under section 33A of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 to these units. At present 13 units are operational and complying and 01 unit namely M/s Bajaj Hindustan Ltd., Gola Gokarannath, Lakhimpurkhiri (Sr. no. 14 of annexure) has been closed by CPCB vide letter dated 22-07-2019. Action taken report is enclosed as **Annexure-III**.
5. That it is submitted that remaining 32 operational units have been found compliant with respect to ZLD status. Status report of these units showing their production capacity, details of water pollution control measures and consent status is enclosed as **Annexure-IV(a)**.
6. That it is submitted that 05 units have stopped their distillation process and switched over to bottling of alcohol only. These industries have installed Effluent Treatment Plant. Status of these industries is annexed as **Annexure-IV(b)**.



7. That it is submitted that Compliance Status with respect to observations of Research Coordinator as per Rule 9, Form 4 of NGT Act, 2010 Letter Petition (Regn No. 1732/2019 to 1741/2019) Dated 29-01-2019 as received along with Hon'ble NGT order is as follows:-


Issue raised	Compliance Status
1. Distilleries based in U.P. are frequently draining their effluent into canal, river, public water pond as and when required. 2. Misguiding as they have no Effluent Treatment Plants.	Same as para-3 and para-4.
3. Using Ferti-irrigation through pipelines/Road tankers with distillery effluents for local farmers for fields/crop irrigation through misguiding/blackmailing to farmers as farmers are not well aware of the nature of distillery effluents.	Board has not allowed any distillery unit in the State to use their treated effluent in Ferti-irrigation.
4. Ensure the MEE plant operation by each unit.	UPPCB has issued directions to all distillery units to install mass flow meter on Multi Effect Evaporator (MEE) and their linkage to CPCB server to ensure regular operation of MEE. Distillery units in the State has also been directed to install CCTV camera in suitable locations to check the proper operation of lagoons and bio compost yard.
5. Stop Ferti irrigation work entertained through Factory/distilleries unit.	Board has not allowed any distillery unit in the State to use their treated effluent in Ferti-irrigation.



6. Pay attention to BCM Balrampur and Bajaj units as they are big production units in U.P.

The SPCB is regularly monitoring the water pollution control devices installed in all distilleries including units of BCM Balrampur and Bajaj units through its officers and Central Control Room. The latest inspection report and compliance status of units of BCM Balrampur (03 nos.) and Bajaj Group units (06 nos.) is attached as **Annexure-V.**

The compliance report is being submitted for your perusal.



(A.K. Tiwari)

Chief Env. Officer, Circle-1  
U.P. Pollution Control Board  
Lucknow

**Self Closed****(Annexure-I)**

1	Unnao Distilleries & Breweries Ltd., Shekhpura, Unnao
2	Jagat Jeet Industries, Sikandarabad I/A, Buland Shahaar
3	Mohan Meakins, Lucknow
4	Neebi Steels Ltd., Ghosi, Mau
5	Starlight Bruchem Ltd. (Narang Distillery Ltd.) Nawabganj Gonda
6	A.B. Mauri Yeast India Ltd., Sikandrabad Area, Ind. Area, Bulandshahaar
7	Bagholi Sugar & Distillery Ltd., Village Bikapur, Bagholi, Hardoi



## Annexure-II

Status of Closed Distillery & Fermentation Units of Uttar Pradesh						
Non compliant Units:- Closure order issued by UPPCB						
S.N	Name of Unit	Production Capacity	Zero Liquid Discharge Status			Action Taken
			M.E.E	Bio Composting/ Incineration boiler	Web Camera	
1	UP Cooperative Sugar Factories Federation Ltd. (Distillery Unit)Nannauta, Saharanpur	IA 30KLD	Under Installation	Bio composting	Installed	Closure order issued by Board 27-04-2017
2	Shakumbri Sugar & Allied Industris Ltd., Distillery Unit, Todarpur, Saharanpur	RS-40 KLD	Not Installed	Bio composting	Not Installed	Closure order issued by Board 04-05-2017
3	U.P Cooperative Sugar Federation (Dist.), Jahageerabad, Anupshahar Bulandshahar	Industrial Alcohol 30 KLD	Not Installed	Bio composting	Installed	Closed by Board
4	Kisan Sahakari Chini mills Ltd. (Distillery Unit), Sampurna Nagar, Lakhimpur Kheri	RS-30KLD	Not Installed	Bio composting	Installed	Closure order issued under section 33A on dated 23/06/2017
5	Shrawasti Kisan Sahakari Chini Mills (Dist. Unit) Nanpara Baharaich	Industrial Alcohol-30KLD	Not Installed	Bio composting	Installed	Closure order issued under section 33A on dated 29/06/2017
6	Bajaj Hindustan Ltd. (Distillery Unit), Rudauli, Basti	RS-160 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Board issued Closure order u/s 32(1)© dated 20.07.2018
7	Majhola Distillery And Chemical. Works Majhola, Pilibhit	R.S. - 30 KLD	Not Installed	Bio composting	Not Installed	Closure Order by UPPCB on 18.07.2014
Non compliant Units:- Closure order issued by CPCB						
8	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd. (Dist Unit)Kayam Ganj Farrukhabad	Rectified Spirit -60 KLD	Not Installed	Bio composting	Installed	CPCB issued closure order u/s 5 of E(P)A dt. 16-06-2017
9	Bajaj Hindustan Sugar Ltd.(Distillery Unit), Paliakalan, Lakhimpur Kheri	R.S.- 60KLD	Installed	Bio composting	Installed	Closure Direction issued under section 5 of E(P)A, 1986 on dt. 01/07/2019 & EC of Rs. 58.20 Lakh was imposed by CPCB.
10	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd.(Distillery Unit) Ghosi, Mau.	IA-30KLD	Not Installed	Bio composting	Installed	CPCB issued closure order u/s 5 of E(P)A dt. 05-10-2017
11	Bajaj Hindustan Sugar Ltd.(Distillery Unit), Gola Gokarnath, Lakhimpur Kheri	Rectified spirit-100 KLD	Installed	Bio composting	Installed	CPCB issued closure order u/s 5 of E(P)A, 1986 on dated 22/07/2019

## (Annexure-III)

Status of Distillery & Fermentation Units of Uttar Pradesh on EC imposed and direction were issued for non compliance. (Cause of default- Level of Spent wash in lagoon was above the Red mark/Spillage of Spent wash)						
				Details of Action Taken		
S.No.	District	Name of Distillery	Date of default	EC imposed	Action under Act.	Present Status
1	Ghaziabad	Simbhauli Spirit Ltd., (Distillery Unit), Simbhauli Hapur.	16-05-2019	5,50,000/-	---	complying
2	Hapur	Ghaziabad Organics Ltd., Modi Nagar, Ghaziabad	05-04-2019 to 08-04-2019	2,00,000/-	---	complying
3	Hapur	Simbhaoli Sugars Ltd. (Unit Brijnathpur Distillery), Brijnathpur, Hapur.	30-11-2018 to 15-12- 2018	8,50,000/-	---	complying
4	Muzaffarnagar	Sir Shadi Lal Distillery & Chemical Works, Mansurpur Muzaffar Nagar	16.02.2019	10,50,000/-	Show Cause Notice was issued under Section 33A of Water	complying
5	Muzaffarnagar	Triveni Engg. & Industries Ltd. (Alco Chemicals Complex) Bhikki Bilaspur,	05.04.2019	1,20,000/-	Show Cause Notice under Section 33A of Water Act,	complying
6	Aligarh	Wave Distillery & Breweries Ltd. (Distillery Unit), Vill.-Ahmadpura, Ramghat Road, Tehsil-	30-12-2018	50,000/-	---	complying
7	Bijnore	Mohit Petochemicals Pvt. Ltd., Nagina Road, Bijnore	15-05-2019, 20-06- 2019 &	12,30,000/-	Show Cause Notice under Section 33A of Water Act,	complying
8	Bijnore	Uttam Sugar Mills Ltd. Distillery Unit, Najibabad, Bijnore	30-03-2019, 06-04- 2019, 26-06-2019	26,70,000/-	Show Cause Notice under Section 33A of Water Act,	complying
9	Bareilly	Superior Industries Ltd. (Distillery Division), C.B. Ganj, Bareilly	5/3/2018	50,000/-	Show Cause Notice under Section 33A of Water Act,	complying
10	Bijnore	The Kisan Sahkari Chini mills Ltd., (Distillery unit), sneh Road, Najibabad, Dist-Bijnore	01-12-2018, 26-12- 2018, 08-02-2019, 11-	14,00,000/-	Show Cause Notice under Section 33A of Water Act,	complying
11	Saharanpur	Pilkhani Distillery And Chemical Works, Pilkhani, Saharanpur	30.01.21019	50,000/-	---	complying
12	Ayodhya	K.M. Sugar Mills (Dist. Unit) Moti Nagar Ayodhya	31.01.2019	36,50,000/-	Closure under Section 33A of Water Act, 1974 which was	complying
13	Baharaich	Simbhauli Sugar Mill Distillery Unit Chilwaria Baharaich	30.01.21019	12,50,000/-	Closure under Section 33A of Water Act, 1974 which was	complying
14	Lakhimpur Kheri	M/s Bajaj Hindustan Ltd, Gola, (Distillery) Kheri	10/23/2018	25,00,000/-	Direction issued under section 33A of Water Act.	Non complying. Closure Direction issued by CPCB under section 5 of EPA, 1986 on dated 22/07/2019
Total EC Imposed =				Rs. 1,56,20,000/-		

### Status of Distillery & Fermentation Units of Uttar Pradesh which are complying with norms

S.N	Name of Unit	Production Capacity	Zero Liquid Discharge Status				Consent Water/Air (up to 2019)	Remarks
			M.E.E	Bio Composting/Incineration boiler	Web Camera	Data Linking		
1	Modi Distillery Ltd., Modinagar, Ghaziabad	R.S.= 22 KLD	Installed	Bio Composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
2	Bajaj Hindustan Ltd., Distillery Unit, Vill-Gangnoui, Tamsipur, Saharanpur	RS-160 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
3	Dauralla Sugar works (Distillery Unit) Dauralla, Meerut	Rectified spirit/ E.N.A. - 150 KLD (Consent granted for	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
4	Bajaj Hindustan Ltd. (Distillery Unit) Kinauni, Meerut	Rectified spirit/ E.N.A. - 160 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
5	Naglamal Sugar Complex (Distillery Unit), Naglamal, Meerut	Rectified Spirit-120KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
6	Shamli Distillery & Chemical Works, Shamli, Muzaffarnagar	RS- 45KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
7	Tikaula Distillery, Vill. Tikaula, Muzaffarnagar	RS- 45KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
8	Triveni Engineering and Industries Ltd., (Distillery Unit), Sabitnagar, Khurza, Bulandshahr.	Recctified Sprit/ENA/Absolute Alcohol	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	New Industry
9	The Oudh Sugar Mills Ltd.(Distillery Unit), Hargaon, Sitapur	R.S-100 KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	-
10	Bajaj Hindustan Sugar Ltd.,(Distillery Unit), Khambarkhera Lakhimpur	RS-160 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-

11	The Saksaria Biswan Sugar Factory Ltd., Biswan Sitapur	Rectified Sprit+ENA+Abs. Alc.= 65 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
12	Dalmia Chini Mills Distillery Unit Jawaharpur Sitapur	Rectified Sprit - 120KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
13	DSCL (Distillery Unit), Hariyawan, Hardoi	ENA/RSA/AA/IMPURE ALCOHAL-200 KLD & POWER GENERATION 6	Installed	Incineration Boiler	Installed	-	Granted	Industry has installed RO also.
14	Saraiya Distillery , Sardarnagar, Gorakhpur	RS-110 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
15	Balrampur Chini Mills, Ltd. (Chemical Div.) Balrampur.	RS-160KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	-
16	Balrampur Chini Mills Ltd.(Chemical Div.) Babhnan, Gonda	Industrial Alcohol-100KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
17	India Glycols Ltd., E-1,Sec-15,GIDA Gorakhpur	RS-200 KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	-
18	Mankapur Chini Mills Ltd. (Distillery Div.), Datauli, Mankapur Gonda	Industrial Alcohol-100 KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
19	Lords Distillery Ltd., Nandganj, Ghazipur	Potable Alcohol 30KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
20	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd.(Distillery Unit) Sathiyon, Azamgarh	IA-30KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	-
21	Jubilant Life Sciences Ltd. (Distillery Unit), Gajaraula, Amroha	RS- 305 KLD	Installed	Bio composting & Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
22	Awadh Sugar & Energy Ltd, (Upper Ganges Sugar And Industries Ltd.), Seohara, Bijnor	RS- 100 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
23	Dhampur Sugar Mills Ltd. (Distillery) Dhampur, Bijnor	Rs- 200 KLD	Installed	Bio composting & Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.

22

24	Dwarikesh Sugar Industries Ltd. Distt. Unit Bundki Bijnor.	R.S.- 30 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	-
25	Jain Distillery, Nagina Road , Bijnor	RS + ENA+ Ethanol=40 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
26	Radico Khaitan Ltd., Rampur	Molasses Based- R.S. 220 KLD, Grain Based ENA-80, KLD,	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
27	DSM Sugar, Asmoli (Distillery divi.) Asmoli, Sambhal	Molasses Based- R.S./E.N.A 100 KLD	Installed	Bio composting & Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
28	L.H. Sugar Factories Ltd. Distillery Unit Village Jagrolipul, Pilibhit	RS, ENA, Absolute Alcohol- 60 KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
29	Dalmia Chini Mills Distillery Unit Nigohi, Shahjahanpur	Ethanol, ENA, Impure Alcohol- 60 KLD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
30	Kothari Fermentation & BioChem Ltd., D6-12, Sikandrabad, Ind. Area, Bulandshahar	Bakers yeast 70 MTD	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
31	SAF YEAST Co. Ltd., Sandila Industrial, Hardoi	Backers Yeast-100 MT/D	Installed	Bio composting & Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.
32	Kesar Enterprises Ltd. Baheri, Bareilly	RS-45 KLD	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Industry has installed RO also.

**Status of Bottling Plants (No distillation and fermentation)**

**Annexure-IV(b)**

Sr.no.	Name & Address	Product & Capacity	Status of ETP	Status of Consent Water/Air (up to 2019)	Remark
1	Mohan Meakins Ltd., Mohannagar, Ghaziabad	Only bottling of alcohol	Installed & achieving norms	Granted	Distillation Process closed since year 2007.
2	United Spirits Ltd., Kankar Khera, Meerut.	Only bottling of alcohol	Installed & achieving norms	Granted	Distillation Process stopped since year 2006.
3	National Industrial Corporation Ltd., Raja ka sahaspur, Moradabad	Only bottling of alcohol	Installed & achieving norms	Granted	Distillation Process stopped since year 2015.
4	United Spirits Ltd. Rosa, Shahjehanpur	Only bottling of alcohol	Installed & achieving norms	Granted	Distillation Process stopped since long.
5	Cooperative Co. Ltd., Tapari, Saharanpur	Only bottling of alcohol	Installed & achieving norms	Granted	Closure order issued by Board on dated 27-04-2017 for distillation and fermentation but bottling is going on and consent is granted for bottling.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Status Report of Bajaj Group's and BCM, Balrampur Distillery Units of Uttar Pradesh

S.N	Name of Unit	Production Capacity	Inspection Date	Operational status	Zero Liquid Discharge Status				Consent Status Water/Air	Present Compliance Status	Directions/ Action Taken
					M.E.E	Bio Composting/Incineration boiler	Web Camera	Data Linking			
<b>Bajaj Group Distillery Units.</b>											
1	Bajaj Hindustan Ltd., Distillery Unit, Vill-Gangnoui, Tamsipur, Saharanpur	Rectified spirit-160 KLD	29-07-2019	Operational	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Complying	NA
2	Bajaj Hindustan Ltd. (Distillery Unit) Kinauni, Meerut	Rectified spirit/ E.N.A. - 160 KLD	24-07-2019	Operational	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Complying	NA
3	Bajaj Hindustan Sugar Ltd.,(Distillery Unit), Khambarkhera Lakhimpur	Rectified spirit-160 KLD	26-07-2019	Operational	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Granted	Complying	NA
4	Bajaj Hindustan Sugar Ltd.(Distillery Unit), Paliakalan, Lakhimpur Kheri	Rectified spirit-60 KLD	29-07-2019	Not Operational (Closed by CPCB)	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Revoked	Non complying	Closure Direction issued under section 5 of EPA, 1986 on dated 01/07/2019
5	Bajaj Hindustan Ltd. (Distillery Unit), Rudauli, Basti	RS-160 KLD	16-07-2019	Not Operational (Closed by Board)	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Revoked	Non complying	Board has issued Closure order u/s 32(1)C dated 20.07.2018
6	Bajaj Hindustan Sugar Ltd.(Distillery Unit), Gola Gokarnath, Lakhimpur Kheri	Rectified spirit-100 KLD	29-07-2019	Not Operational (Closed by CPCB)	Installed	Bio composting	Installed	Linked	Revoked	Non complying	Closure Direction issued under section 5 of EPA, 1986 on dated 22/07/2019
<b>BCM, Balrampur Distillery Units.</b>											
7	Balrampur Chini Mills, Ltd. (Chemical Div.) Balrampur Gonda	Rectified spirit-160 KLD	26-06-2019	Operational	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Complying	NA
8	Balrampur Chini Mills Ltd.(Chemical Div.) Babnna, Gonda	Industrial Alcohol-100KLD	22-06-2019	Operational	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Complying	NA
9	Mankapur Chini Mills Ltd. (Distillery Div.), Datauli, Mankapur Gonda	Industrial Alcohol- 100 KLD	19-07-2019	Operational	Installed	Incineration Boiler	Installed	Linked	Granted	Complying	NA



## क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर -247001

सन्दर्भ सं०: 765/सी/एसआरई/बी-2/2019  
सेवा में,

दिनांक : 29 .07.2019

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि०, (आसवनी इकाई) गंगनौली, तहसील-देवबन्द, सहारनपुर की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1) के टिप्पणी एवं आदेश पत्रांक-204/सी-1/2019 दिनांक-23.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि०(आसवनी इकाई), गंगनौली, सहारनपुर का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-29.07.2019 को कराया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया, विस्तृत निरीक्षण आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर विवरण पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

  
(एस०आर०मौर्या)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि०, (आसवनी इकाई) गंगनौली, तहसील-देवबन्द, सहारनपुर की निरीक्षण आख्या।


कृपया मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-204/सी-1 कैम्प/2019, दिनांक-23.07.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि०, आसवनी इकाई का निरीक्षण दिनांक-29.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री आर०पी०सिंह, प्रबन्धक उपस्थित थे। निरीक्षण के समय आसवनी इकाई उत्पादनरत नहीं पायी गयी। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षा ऋतु होने के कारण आसवनी इकाई में उत्पादन प्रक्रिया दिनांक-26.06.2019 से बन्द है। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलेसिस का प्रयोग कर डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा एनहाईड्रेस एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 160 किली०/दिन है।
2. उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण प्रणाली पर आधारित है। उद्योग द्वारा किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा उद्योग से 800 किली०/दिन स्पेन्टवॉश जनित होता है। स्पेन्टवॉश के सांद्रीकरण किये जाने हेतु एल्कोहल डिस्टिलेशन प्लान्ट में इन्टीग्रेशन इवापोरेशन सिस्टम (02 नग कॉलम) तथा मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर क्षमता 1200 मी०<sup>3</sup>/दिन स्थापित है। मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर पर मास फ्लोमीटर स्थापित है। उद्योग में स्पेन्टवॉश के एकत्रण हेतु 02 नग लैगून क्षमता 25000 मी०<sup>3</sup> प्रत्येक स्थापित है।
3. मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर द्वारा स्पेन्टवॉश को सांद्रीकरण कर पूर्णतः प्रयोग बाँयो कम्पोस्टिंग प्रक्रिया द्वारा बाँयो कम्पोस्ट के उत्पादन में किया जाता है। उद्योग में बायोक्म्पोस्टिंग हेतु यार्ड (क्षेत्रफल 31.6 एकड) स्थापित है। निरीक्षण के समय बायोक्म्पोस्ट उत्पादन प्रक्रिया संचालित नहीं पायी गयी।
4. उद्योग द्वारा आसवनी इकाई से जनित होने वाले उत्प्रवाह को फर्टी इरिगेशन हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है।
5. उद्योग में लैगून एवं बायो-क्म्पोस्टयार्ड पर वैब कैमरा स्थापित है एवं कैमरे की फीड यू०पी०पी०सी०बी० एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के सर्वर से कनेक्ट की गयी है। निरीक्षण के समय वैब कैमरा संचालित पाया गया।
6. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शून्य उत्प्रवाह निस्तारण के क्रम में उद्योग द्वारा Incinerator Boiler की स्थापना किये जाने हेतु मेसर्स आई०एस०जी०ई०सी० हैवी इन्जीनियर्स लि०, नोएडा को Letter of Intent दिनांक-28.06.2019 को प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
7. उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा सशर्त सहमति जल वर्ष 2020 तक एवं सशर्त सहमति वायु वर्ष 2019 तक निर्गत है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(पवन मिश्रा)  
वैज्ञानिक सहायक



(गीतेश चन्द्रा)  
सहा०वैज्ञा०अधिकारी

### Action Aplan for Distillery & Fermentation Sector for Mitigation of Pollution

Sr. No.	Name of Unit	Circle	Production Capacity	Zero Liquid Discharge Status							Consent Water	Consent Air	Direction/Action Taken	Remarks	Operational Status	Distillery Stand Alone/with Sugar	Closure Status
				M.E.E.	R.O.	Incineration Boiler	Bio Compositin	Web Camera	Data Linking	10							
1	Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. Gangnoli, District Saharanpur	3	R.S. 160 KLD	Installed	Not Installed	Under Process	Installed	Installed	linked	Granted upto 2020	Granted upto 2019	-	-	Shut Down Due to Rainy Season	with Sugar	-	

## LETTER OF INTENT

To,

28.06.2019

M/s Isgec Heavy Engineering Ltd

A-5, Sector 63

Noida -201301, UP India

Kind Att.: Mr.N Shastry

Sub: Letter of Intent for slope fired boiler 60TPH, 47Kg/cm<sup>2</sup> for Gagnauli Distillery, Distt. Sharanpur UP.

Dear Sir,

This has reference to our mail dated 26/04/2019 and further your visit to site and technical discussion on 25/05/2019 at our Lucknow office and your final tech-commercial offer via mail dated 19/06/2019 and final Techno-commercial discussion on 22/06/2019 at our Lucknow office with final price discussion on 26/06/2019.

We are pleased to issue letter of intent for Design, Engineering, Manufacturing, Supply, Erection and Commissioning of One Number Single Drum, Natural Circulation, Balanced Draft, Multi-Fuel fired Traveling Grate, Spreader stoker Slope fired boiler suitable for steam output capacity of 60 tons per hour at 47 kg/cm<sup>2</sup> (a) pressure and steam temperature of 400 ± 5 °C, all measured at Superheater outlet at boiler MCR for our for Gagnauli Distillery, Distt. Sharanpur UP .

- 2.0 Plant Location: Gagnauli Distillery, Distt. Sharanpur UP.
- 3.0 Boiler Capacity: 60 tons per hour at 47 kg/cm<sup>2</sup>
- 4.0 Scope of work : Broad Technical Specifications & brought out items as per your offer mail dated 19/06/2019 and our mail dated 22/06/2019.
- 5.0 BHSL Scope : As per your offer dated 19/06/2019 and agreed upon.



- 6.0 Deliveries & Commissioning :Within 12 months from date of purchase order.
- 7.0 Price : Project Basic price including supply,erection and commissioning except Bagasse handling and civil work Rs 2296.00 Lacs.This price will be exclusive of GST which shall be as per norms. TDS shall be deducted as per government norms.The contract price shall remain firm till completion of the contract.The price basis is FOR site basis. LD Clause for delay in delivery @ 0.5% per week up to Max 5% ,if ISGEC falling to deliver the item within the delivery period as mentioned above.
- 8.0 Trail Runs : As per the offer dated 25/06/2020
- 9.0 Guarantee / Warrantee: 12 Months from Date of commissioning of the equipment or 18 months from the date of supply last major equipment required for commissioning,whichever is earlier.
- 10.0 Supply payment: 10% Advance against ABG,10% on submission of all Drgs & foundation load data, 70% on Prorata basis after receipt of documents of dispatch & approval material at site with 15 days and 10% on submission of PBG after successful commissioning.
- 11.0 Services payment : 10% advance against mobilization of site with all tools and tackles,80% on prorata basis as per erection billing break up,10% after successful completion of performance test.
- 12.0 Jurisdiction: All contract of BHSL are subject to the jurisdiction of the courts in Lucknow and all claims, actions and petitions arising out of or in connection with this contract shall be instituted in courts of Lucknow,UP.
- 13.0 This letter of Intent is issued in duplicate with a request to return one copy duly signed as a token of your acceptance so that we can issue our formal detail work order..

Thanking you

Yours faithfully

For Bajaj hindusthan sugar ltd.



Mok Kumar Vaish (CFO)



क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 0121 2577676

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 987/EPHLL (Distillery)-2019

दिनांक- 23/7/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1),  
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ ।

विषय- मै0बजाज हिन्दुस्तान लि0, आसवनी इकाई, किनौनी, मेरठ की सूचना प्रेषित करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में अपने पत्रांक-204/सी-1कैम्प/2019 दिनांक-23/07/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । तत्कम में वांछित सूचनार्ये निर्धारित प्रारूप पर परिपूरित कर पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(आर0के0त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मे0बजाज हिन्दुस्तान लि0, आसवनी इकाई, किनौनी, मेरठ की निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-204 दिनांक-23/07/2019के साथ संलग्न आसवनी इकाइयों से संबंधित सूचना प्रेषित किये जाने हेतु रिसर्च कोआर्डिनेटर श्रीमती प्रतिमा अकोलकर द्वारा इंगित बिन्दुवार सूचना के संबंध में उद्योग का निरीक्षण दिनांक-24/7/2019 को किया गया । निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया । निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उक्त उद्योग द्वारा शीरे का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुये रेक्टिफाइड स्पिरिट/ईएनए का उत्पादन किया जाता है । उद्योग की स्थापित क्षमता 160कि0ली0/दिन उत्पादन की है ।
2. उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण एवं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की स्थिति मेंटेन करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित है . बायोडाइजेस्टर, प्राथमिक चरण में उपचारित उत्प्रवाह हेतु लैगून, मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर क्षमता 1535कि0ली0/दिन, लैगून एवं बायोकम्पोस्टिंग । मल्टीइफेक्टइवापोरेटर से जनित कंडेनशेट को आर0ओ0प्लांट से शुद्धकर कूलिंग हेतु तथा प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने की व्यवस्था स्थापित है तथा कंसन्ट्रेट को बायोकम्पोस्टिंग हेतु प्रयोग किया जाता है ।
3. रिसर्च कोआर्डिनेटर एनजीटी द्वारा चाही गयी सूचनाओं का विवरण निम्नवत है-

Observations of research coordinator as per Rule9,Form 4 of NGT Act,2010 Letter Petition (Regn No 1732/2019 to 1741/2019) Dated 29/01/2019.

S.No.	Issue Raised	Description regarding issue raised
1	Distilleries based in U.P. are frequently draining their effluent in to Canal,River,Public water pond as and when required.	No incident of draining effluent in to River was found during any inspection.
2	Misguiding as they have no Effluent treatment plant .	M/s Bajaj Hindustan Ltd, Distillery Unit, Kinoni,Meerut is having MEE and Biocomposting Plant and Maintaining ZLD conditions.
3	Using ferti-irrigation through pipelines /road tankers with distillery effluents for local farmers for fields/crop irrigation through misguiding /blackmailing to farmers as farmers are not well aware of the nature of distillery effluents.	No ferti-irrigation from distillery unit is being done by M/s Bajaj Hindustan Ltd, Distillery Unit, Kinoni,Meerut and farmer found using distillery effluent their field.
4	Ensure the MEE plant operation by each unit.	MEE Plant operation is ensured.
5	Stop ferti-irrigation work entertained through Factory/distilleries unit.	No Ferti-irrigation is being done.
6	Pay attention to BCM Balrampur and Bajaj units as they are big production units in U.P.	M/s Bajaj Hindustan Ltd, Distillery Unit, Kinoni,Meerut is being regularly monitored for ZLD conditions and Online web camera is also installed which is also connected with CPCB and SPCB server.

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*  
24/07/19

*[Signature]*  
24/07/19  
(एस0पी0सिंह)  
अवर अभियंता

S.No.	District	Name of Distillery	Date of Default(untreated effluents being discharged)	Details of Action Taken against the distilleries	Compliance Status	EC Received or not
1	Meerut	Daurala Sugar Works, Distillery Unit Daurala, Meerut	NO	.....	Complying	Not Received (Old Plant)
2	Meerut	Naglamal Sugar Complex , (Distillery Unit), Naglamal, Meerut	NO	.....	Complying	yes
3	Meerut	Bajaj Hindustan Ltd, Distillery Unit, Kinoni, Meerut	NO	.....	Complying	yes

1316/AE-101C/19

30/7/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

विषय: मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), खम्मारखेड़ा, लखीमपुर खीरी के निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1 के पत्र संख्या- 204/सी-1/कैम्प/2019 दिनांक 23/07/2019 के अनुक्रम में उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26/07/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,



(डा० राम करन)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी



मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), खम्भारखेड़ा, लखीमपुर खीरी की निरीक्षण आख्या।

बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1 के पत्र संख्या-204/सी-1/कैम्प/2019 दिनांक 23/07/2019 के अनुक्रम में उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 26/07/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अभिषेक अग्रवाल (महाप्रबन्धक) एवं श्री अतुल सिंह (ए०जी०एम० प्रोडक्शन) उपस्थित थे। उद्योग की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), खम्भारखेड़ा, लखीमपुरखीरी निरीक्षण के समय संचालनरत नहीं पायी गयी। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस 720 मी०टन/दिन का प्रयोग कर 160 किली०/दिन रेक्ट्रीफाइड एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय आफ सीजन होने के कारण उद्योग में संचालन का कार्य बन्द पाया गया।
2. उद्योग को राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 में सहमति जल/वायु वर्ष-2019 तक प्राप्त है।
3. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित स्पेण्टवाश लगभग 1600 किली०/दिन को प्रथम चरण में शुद्धिकरण हीट एक्सचेंजर बायोगैस, डाइजेस्टर 02 नग प्रत्येक की क्षमता 16500 केएल, पाँच स्टेज इवापोरेटर 1200 केएल, होल्डिंग टैंक के माध्यम से प्राथमिक शोधित उत्प्रवाह को परिसर में स्थित 02 नग स्टोरेज पक्के लैगून (क्षमता 2000 केएल एवं 8000 केएल) में एकत्रित कर आवश्यकतानुसार बायोक्म्पोस्ट 02 नग एरिया (क्षेत्रफल लगभग-20 एकड़ एवं 13.3 एकड़) जो इकाई परिसर के बाहर स्थित है, में पम्प के माध्यम से स्थानान्तरित कर बायोक्म्पोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। उद्योग में स्टीम की आपूर्ति शुगर इकाई में स्थापित ब्वायलर के माध्यम से की जाती है। आसवनी इकाई में अलग से कोई पृथक ब्वायलर स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में डाइजेस्टर से लगभग 40000 m<sup>3</sup>/दिन बायोगैस जनित होता है जिसका प्रयोग शुगर इकाई के ब्वायलर में किया जाता है।
5. निरीक्षण के समय इकाई में स्थित लैगून संख्या-1 जिसकी क्षमता 2000 के०एल० है में बायोक्म्पोस्ट संख्या-1 से वर्षा से कनटामेनेटेड जल को लैगून में भण्डारित किया जाता पाया गया। वर्तमान में लैगून नं०-1 में लगभग 80 प्रतिशत स्पेण्टवाश भण्डारित पाया गया। इसी प्रकार लैगून संख्या-2 जिसकी क्षमता 8000 के०एल० है में बायोक्म्पोस्ट संख्या-2 से वर्षा से कनटामेनेटेड जल को लैगून में भण्डारित किया जाता पाया गया। वर्तमान में लैगून नं०-2 में लगभग 40 प्रतिशत स्पेण्टवाश भण्डारित पाया गया।
6. उद्योग में स्थापित बायोक्म्पोस्ट संख्या-1 एवं 2 में उपलब्ध प्रसेमड को एकत्रित कर प्लास्टिक सीट्स से कवर्ड पाया गया एवं बायोक्म्पोस्ट परिसर से वर्षा जल के साथ कोई भी कनटामेनेटेड उत्प्रवाह बाहर निस्तारित/ओवर फ्लो होता नहीं पाया गया।
7. निरीक्षण के समय उद्योग से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित होते नहीं पाया गया (शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति मेनटेन पायी गयी) तथा परिसर में नाले के चैम्बर में कनटामेनेटेड उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया।
8. उद्योग परिसर में दो वेब कैमरा एक लैगून व बायोक्म्पोस्ट तथा एक वेब कैमरा बायोक्म्पोस्ट एवं लैगून परिसर में स्थापित किया गया है जो निरीक्षण के समय वेब कैमरे संचालित एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य बोर्ड के सर्वर से कनेक्ट पाये गये।
9. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में इन्सीनिरेसन ब्वायलर की स्थापना हेतु वर्क आर्डर प्रेषित कर दिया गया है तथा अमोनिया स्टीपर प्लाण्ट की स्थापना का सिविल का कार्य किया जाता पाया गया। उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(क्षीतेश पटेल)  
वैज्ञानिक सहायक

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

  
30/07/2019

  
30/07/2019

  
CEO-S

1317 /hE-91C/19

30/7/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5)  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

विषय: मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, (आसवनी इकाई), पलियाकला लखीमपुर खीरी के निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1 के पत्र संख्या- 204/सी-1/कैम्प/2019 दिनांक 23/07/2019 के अनुक्रम में उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29/07/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,



(डा0 राम करन)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी

9/16  
SA


**मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), पलियाकला लखीमपुर खीरी की निरीक्षण आख्या।**


बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1 के पत्र संख्या-204/सी-1/कैम्प/2019 दिनांक 23/07/2019 के अनुक्रम में उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 29/07/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री चन्द्रेश कुमार दूबे (महाप्रबन्धक) उपस्थित थे। उद्योग की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), पलियाकला लखीमपुर खीरी निरीक्षण के समय संचालनरत नहीं पायी गयी। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस 270 मी०टन/दिन का प्रयोग कर 60 किली०/दिन रेक्टीफाइड एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय आफ सीजन होने के कारण उद्योग में संचालन का कार्य बन्द पाया गया।
2. उद्योग को राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 में सहमति जल/वायु वर्ष-2019 तक प्राप्त है।
3. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित स्पेण्टवाश लगभग 600 किली०/दिन को प्रथम चरण में शुद्धिकरण हीट एक्सचेंजर बायोगैस, डाइजेस्टर 02 नग प्रत्येक की क्षमता 8620 केएल, डबल स्टेज इवापोरेटर 600 के०एल०, होल्डिंग टैंक के माध्यम से प्राथमिक शोधित उत्प्रवाह को परिसर में स्थित 03 नग स्टोरेज पक्के लैगून (क्षमता 1150 घन मीटर के 02 नग तथा एक 8000 घन मीटर) में एकत्रित आवश्यकतानुसार बायोकम्पोस्ट एरिया (02 नग, लगभग क्षेत्रफल-18.5 एकड़ एवं 12 एकड़), जो इकाई परिसर के बाहर स्थित है, में पम्प के माध्यम से स्थानान्तरित कर बायोकम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। उद्योग में स्टीम की आपूर्ति शुगर इकाई में स्थापित ब्वायलर के माध्यम से की जाती है। आसवनी इकाई में अलग से कोई पृथक ब्वायलर स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में डाइजेस्टर से लगभग 30,000 Nm<sup>3</sup>/घण्टा बायोगैस जनित होता है जिसका प्रयोग शुगर इकाई के ब्वायलर में ईंधन के रूप में किया जाता है तथा अतिरिक्त बायोगैस के निस्तारण हेतु फ्लेयर्ड स्टैक स्थापित किया गया है।
5. निरीक्षण के समय इकाई में स्थित लैगून संख्या-1 में स्पेण्टवाश 80 प्रतिशत भण्डारित पाया गया। इसी प्रकार लैगून संख्या-2 व 3 जिसकी क्षमता प्रत्येक-प्रत्येक 1150 के०एल० है जिसमें लगभग 45 प्रतिशत स्पेण्टवाश भण्डारित पाया गया। निरीक्षण के समय लैगून नं०-2 में स्थापित बायोकम्पोस्ट के कनटामेनेटेड उत्प्रवाह को एकत्रित किया जाता पाया गया।
6. उद्योग में स्थापित बायोकम्पोस्ट यार्ड में उपलब्ध प्रसेमड को एकत्रित कर प्लास्टिक सीट्स से कवर्ड पाया गया एवं बायोकम्पोस्ट परिसर से वर्षा जल के साथ कोई भी कनटामेनेटेड उत्प्रवाह बाहर निस्तारित/ओवर फ्लो होता नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय दोनो बायोकम्पोस्ट यार्ड के मध्य से निकलने वाला पक्का नाला सूखा पाया गया।
7. निरीक्षण के समय उद्योग से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित होते नहीं पाया गया (शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति मेनटेन पायी गयी) तथा बायोकम्पोस्ट यार्ड के मध्य स्थित नाले में कनटामेनेटेड उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया।
8. उद्योग परिसर में दो वेब कैमरा एक लैगून व बायोकम्पोस्ट तथा एक वेब कैमरा बायोकम्पोस्ट एवं लैगून परिसर में स्थापित किया गया है जो निरीक्षण के समय वेब कैमरे संचालित एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य बोर्ड के सर्वर से कनेक्ट पाये गये।
9. उद्योग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या-B-75/PCI-III/2K-2K01/3437 दिनांक 01/07/2019 द्वारा इनवायमेण्टल (प्रोटक्शन एक्ट) 1986 के अन्तर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया है एवं बन्दी आदेश के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 58.20 लाख अधिरोपित किया गया है।
10. निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित किये जा रहे 05 स्टेज मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर का जल के साथ हाइड्रोलिक टेस्ट कर लिया गया है। अमोनिया स्टीपर एवं सी०पी०यू० रिकबरी प्लाण्ट की स्थापना का कार्य किया जाता पाया गया।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

  
(क्षितीश पटेल)  
वैज्ञानिक सहायक


  
30/07/2019

  
30/7/2019

  
LEOS

प्रदूषण रोकिए!  
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542-281440  
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 591/सी०-293/जल/2019

दिनांक : 17.07.2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी०, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।


विषय:-मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०(आसवनी इकाई), अठदमा, रूधौली, बस्ती की अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच36982/सी-6/जल/109/2019 दिनांक 06.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त इकाई का दिनांक 16.07.2019 को निरीक्षण किया गया। विस्तृत निरीक्षण मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न कर आपके आवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी

Corr Matter / mtr

SA/EE

for necessary  
action.

19/7/2019  
CEO, C-6

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppqb.com, e-mail id: robasti@uppqb.com, ropcbbasti@gmail.com

मर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०(आसवनी इकाई), ग्राम-अठदमा, रूधौली, जनपद-बस्ती की निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 16.07.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री ओ०पी० राय, यूनिट हेड उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बंद पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत् है-

1. उद्योग एक आसवनी इकाई है तथा वर्ष 2007 से संचालित है।
2. उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस, यीस्ट, यूरिया आदि का प्रयोग कर डायल्यूशन, इनाकुलेशन, फर्मेन्टेशन, डेकेन्टेशन एवं डिस्टीलेशन आदि यूनिट आपरेशन्स/प्रासेसेज के उपरान्त रेक्टिफाइड स्पीट एवं पावर एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 160किली०/दिन है। सह उत्पाद के रूप फ्यूजल ऑयल प्राप्त होता है।
3. उद्योग में 1000किली० क्षमता के कुल चार फर्मेन्टर स्थापित हैं तथा 1000किली० क्षमता का एक डिसेन्टर स्थापित है। उद्योग में स्थापित डिस्टीलेशन प्लांट वैकुम पर आधारित है तथा डिस्टीलेशन प्लांट के साथ 2-इफेक्ट इन्टीग्रेटेड फ्लू बेक्स इवैपोरेटर स्थापित है। डिस्टीलेशन प्लांट की क्षमता 160किली०/दिन है।
4. उद्योग में जलापूर्ति भूमिगत जल से निजी दो नलकूपों के माध्यम से किया जाता है। दोनों नलकूपों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर स्थापित है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है।
5. औद्योगिक प्रयोजन में प्रयुक्त जल से उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप जनित अतिप्रदूषणकारी प्रकृति के उत्प्रवाह(स्पेण्टवाश) के शुद्धिकरण हेतु पूर्व में निम्नलिखित व्यवस्थाये स्थापित थीं-

i.	बफर टैंक	-	01 नग
ii.	क्लैरीफायर	-	01 नग
iii.	एनारोबी डाइजेस्टर	-	02 नग
iv.	लामेला कैंडिल फिल्टर	-	02 नग
v.	गैस होल्डर	-	01 नग
vi.	गैस फ्लेरिंग टावर	-	02 नग

उद्योग में स्थापित प्रत्येक एनारोबी डाइजेस्टर का आयतन 17500 घनमीटर है। प्रत्येक डाइजेस्टर की हाइड्रालिक रिटेंशन टाइम 30 दिन है। डाइजेस्टर से निकलने वाले उत्प्रवाह को लामेला कैंडिल फिल्टर से गुजारा जाता है जहाँ निलम्बित कण बाटम पर एकत्रित हो जाते हैं। जिसे स्लज इण्डेक्स मेनटेन करने हेतु पुनः डाइजेस्टर में रिसाइकिल कर लिया जाता है। लामेला कैंडिल फिल्टर से निकलने वाले उत्प्रवाह को बायोक्म्पोस्ट यार्ड के पास बनाये गये पक्के लैगून में एकत्रित किया जाता है। जहाँ से उत्प्रवाह को मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर में सान्द्रण हेतु पम्प किया जाता है।

6. उद्योग में मेसर्स फूड एण्ड बायोटेक इंजीनियरिंग प्रा० लि० द्वारा निर्मित मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर स्थापित है। मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर की इकाईयों का विवरण निम्नवत् है-

i.	सेटलिंग टैंक
ii.	फीड टैंक
iii.	प्री हिटर
iv.	डी०एस०आई०
v.	गैस कैंलेड्रिया
vi.	कैंलेड्रिया
vii.	सी०आई०पी० टैंक
viii.	वैकुम पम्प
ix.	स्प्रे टैंक/एयरेशन टैंक

5.18

x. कूलिंग टावर

xi. कन्डेनसेट स्टोरेज टैंक

xii. कन्स्ट्रेटेड इफलूयेन्ट स्टोरेज टैंक


7. उद्योग में स्थापित मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर 5-स्टेज फालिंग एवं फोर्सिड रिसर्कुलेशन ट्यूबलर इवैपोरेटर है। एम0ई0ई0 की तीन कैलेंड्रिया फॉलिंग फिल्म है तथा दो कैलेंड्रिया राइजिंग फिल्म है। राइजिंग फिल्म तथा फालिंग फिल्म की एक कैलेंड्रिया स्टैण्ड बाई के रूप में स्थापित है। एम0ई0ई0 में एक डिगेसीफाइंग कैलेंड्रिया भी स्थापित है।
8. उद्योग प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार उद्योग में स्थापित एम0ई0ई0 का फीड रेट 50घनमी0/घंटा है। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार स्पेण्ट वाश में इनिशियल सालिड कन्स्ट्रेशन लगभग 10-12 प्रतिशत होता है, जो एम0ई0ई0 से सान्द्रण के उपरान्त बढ़कर लगभग 40-42 प्रतिशत हो जाता है। एम0ई0ई0 से कन्स्ट्रेटेड स्पेण्ट वाश(स्लाप) 15 घनमी0/घंटा की दर से प्राप्त होता है। उद्योग में स्थापित एम0ई0ई0 की वाटर इवैपोरेशन दर 35-38 घनमी0/घंटा है। उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के अनुसार एम0ई0ई0 प्रति दिन लगभग 20 घंटा संचालित किया जाता है।
9. एम0ई0ई0 से जनित स्लाप को बायोक्म्पोस्ट यार्ड के पास बनाये गये पक्के लैगून में भण्डारित किया जाता है। जहाँ से पम्प के माध्यम से बायोक्म्पोस्ट एरिया में विन्ड्रोज के ऊपर छिड़काव किया जाता है। उद्योग में लगभग 32एकड़ भूमि को बायोक्म्पोस्ट एरिया के रूप में विकसित किया गया है। बायोक्म्पोस्ट एरिया में लीचेट कलेक्शन ड्रेन एवं लीचेट कलेक्शन पिट बनाये गये हैं तथा बायोक्म्पोस्ट यार्ड में पी0टी0जेड0 दो कैमरे स्थापित किये गये हैं।
10. उद्योग द्वारा एम0ई0ई0 के इनलेट एवं आउटलेट पर पूर्व में स्थापित इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लो मीटर के स्थान पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार मास फ्लो मीटर स्थापित कर लिया गया है।
11. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उद्योग को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-एफ98786/सी-6/जल प्रदूषण/जल-109/बस्ती/17 दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से शून्य औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारण हेतु दिनांक 31.12.2018 तक की अवधि हेतु सशर्त सहमति(जल) पूर्व में निर्गत किया गया था।
12. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 13.04.2017 तथा उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 22.04.2017 को उद्योग का किये गये निरीक्षणों के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-एच0ओ2444/सी-6/109/गोर0/17 दिनांक 18.05.2017 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा-32(1)(ग) के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र सं0-एफ98786/सी-6/जल प्रदूषण/जल-109/बस्ती/17 दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से उद्योग को जारी सहमति(जल) आदेश को खण्डित/निरस्त करते हुए उद्योग के विरुद्ध बंदी आदेश जारी किया गया था।
13. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-एच12158/सी-6/सहमति जल-109/गोरखपुर/17 दिनांक 17.11.2017 के माध्यम से उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश दिनांक 18.05.2017 तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश दिनांक 17.05.2017 को यथावत लागू रखते हुए उद्योग के लैगून में भण्डारित स्पेण्टवाश की मात्रा को कम करने हेतु उद्योग में स्थापित मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर(एम0ई0ई0) को संचालित करने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान किया गया था।
14. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-एच14862/सी-6/सहमति जल-109/गोरखपुर/17 दिनांक 13.01.2018 के माध्यम से उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा-32(1)(ग) के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश दिनांक 18.05.2017 को सशर्त निक्षेप कर दिया गया था।
15. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र सं0-B-222/PCI-III/2K11-2K12/6509 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से उद्योग के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया था।

5.17



10. बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.07.2018 को किये गये निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के आधार पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 287/यू0पी0पी0सी0बी0/बस्ती(यू0पी0पी0सी0बी0 आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वाटर/बस्ती दिनांक 29.01.2018 के द्वारा उद्योग को दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु निर्गत सहमति (जल) आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा-27(2) के अन्तर्गत खण्डित करते हुए जल अधिनियम, 1974 की धारा- 32(1)(ग) के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बंदी आदेश पत्र सं0-एच23763/सी-6/सहमति जल/109/बंदी/बस्ती/18 दिनांक 20.07.2018 के माध्यम से जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
17. उद्योग में 24000किली0, 12000किली0 एवं 4000किली0 भण्डारण क्षमता के कुल 03 स्पेण्टवाश स्टोरेज लैगून स्थापित है। निरीक्षण दिनांक 16.07.2019 को 24000किली0 भण्डारण क्षमता के लैगून में स्पेण्टवाश का लेवल लैगून के ऊपरी शीर्ष से लगभग 02फीट, 12000किली0 भण्डारण क्षमता के लैगून में ऊपरी शीर्ष से लगभग 03फीट तथा 4000किली0 भण्डारण क्षमता के लैगून के ऊपरी शीर्ष लगभग 06फीट नीचे पाया गया।
18. निरीक्षण के समय उद्योग के बायोक्म्पोस्ट यार्ड में जगह-जगह एकत्र कर भण्डारित प्रेसमड व अनफिनिशड बायोक्म्पोस्ट के ढेर को पालीथीन सीट से ढका गया था तथा वर्षा होने से बायोक्म्पोस्ट यार्ड में जल का भराव भी पाया गया। बायोक्म्पोस्टिंग के प्रोटोकॉल के अनुसार बायोक्म्पोस्ट यार्ड को वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्णरूपेण खाली किये जाने का प्राविधान है।
19. सतनरिया नाला उद्योग के बायोक्म्पोस्ट यार्ड के बीचो-बीच से होकर गुजरता है। नाला 24000किली0 तथा 12000किली0 भण्डारण क्षमता के लैगूनो के उत्तरी दिवार से सटकर बहता है। दोनों लैगूनो के ऊपरी शीर्ष से नाला लगभग 10-12फीट की गहराई पर बह रहा था।
20. उद्योग द्वारा स्पेण्टवाश के शून्य उत्प्रवाह निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में स्लोप ब्यायलर को स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में फाउण्डेशन कार्य कर लिया गया है तथा स्टील स्ट्रक्चर पार्ट इरेक्ट करने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में स्लोप ब्यायलर स्थापित नहीं है।
21. निरीक्षण के दौरान सतनरिया नाले के जल नमूने एकत्र किये गये तथा विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ प्रेषित किया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

  
 (अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
 वैज्ञानिक सहायक

  
 (विजय) 11/7/19  
 क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)

1315/HF-92C/119

30/7/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5)  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

विषय: मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, (आसवनी इकाई), गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी के निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1 के पत्र संख्या- 204/सी-1/कैम्प/2019 दिनांक 23/07/2019 के अनुक्रम में उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29/07/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(डा0 राम करन)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

**मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी की निरीक्षण आख्या।**


बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1 के पत्र संख्या-204/सी-1/कैम्प/2019 दिनांक 23/07/2019 के अनुक्रम में उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 29/07/2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री महेश चन्द्र उप्रेती (महाप्रबन्धक) उपस्थित थे। उद्योग की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-


1. मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), गोला गोकर्णनाथ लखीमपुरखीरी निरीक्षण के समय संचालनरत नहीं पायी गयी। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस 400 मी०टन/दिन का प्रयोग कर 100 किली०/दिन रेक्ट्रीफाइड एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय आफ सीजन होने के कारण उद्योग में संचालन का कार्य बन्द पाया गया।
2. उद्योग को राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 में सहमति जल/वायु वर्ष-2019 तक प्राप्त है।
3. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित स्पेण्टवाश लगभग 1000 किली०/दिन को प्रथम चरण में शुद्धिकरण हीट एक्सचेंजर बायोगैस, डाइजेस्टर 03 नग प्रत्येक की क्षमता 8600 केएल, 7400 के०एल० एवं 6500 के०एल० जिसमें 7400 के०एल० का डाइजेस्टर वर्तमान में प्रयोग में नहीं है। डबल स्टेज मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर 600 केएल, होल्डिंग टैंक के माध्यम से प्राथमिक शोधित उत्प्रवाह को परिसर में स्थित 03 नग स्टोरेज पक्के लैगून (क्षमता 16500 केएल के 02 नग एवं क्षमता 12000 के०एल० के 01 नग) में एकत्रित कर आवश्यकतानुसार बायोक्म्पोस्ट एरिया (क्षेत्रफल लगभग-26 एकड़) जो इकाई परिसर के बाहर स्थित है, में पम्प के माध्यम से स्थानान्तरित कर बायोक्म्पोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। उद्योग में स्टीम की आपूर्ति शुगर इकाई में स्थापित ब्वायलर के माध्यम से की जाती है। आसवनी इकाई में अलग से कोई पृथक ब्वायलर स्थापित नहीं है।
4. उद्योग में डाइजेस्टर से लगभग 500-600 m<sup>3</sup>/घण्टा बायोगैस जनित होता है जिसका प्रयोग बायोगैस इंजन के संचालन में किया जाता है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है।
5. निरीक्षण के समय इकाई में स्थित लैगून संख्या-1 व 3 जिसकी क्षमता क्रमशः 12000 के०एल० एवं 16500 के०एल० है में स्पेण्टवाश 90 प्रतिशत भण्डारित पाया गया। इसी प्रकार लैगून संख्या-2 जिसकी क्षमता 16500 के०एल० है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत स्पेण्टवाश भण्डारित पाया गया। निरीक्षण के समय लैगून नं०-1 में बायोक्म्पोस्ट के कनटामेनेटेड उत्प्रवाह को एकत्रित किया जाता पाया गया।
6. उद्योग में कालोनी की तरफ स्थापित बायोक्म्पोस्ट यार्ड पूर्णत खाली पाया गया एवं अन्य बायोक्म्पोस्ट यार्ड में उपलब्ध प्रसेमड को एकत्रित कर प्लास्टिक सीट्स से कवर्ड पाया गया एवं बायोक्म्पोस्ट परिसर से वर्षा जल के साथ कोई भी कनटामेनेटेड उत्प्रवाह बाहर निस्तारित/ओवर फ्लो होता नहीं पाया गया।
7. निरीक्षण के समय उद्योग से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित होते नहीं पाया गया (शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति मेनटेन पायी गयी) तथा परिसर के निकट स्थित नाले में कनटामेनेटेड उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया।
8. उद्योग परिसर में दो वेब कैमरा एक लैगून व बायोक्म्पोस्ट तथा एक वेब कैमरा बायोक्म्पोस्ट एवं लैगून परिसर में स्थापित किया गया है जो निरीक्षण के समय वेब कैमरे संचालित एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य बोर्ड के सर्वर से कनेक्ट पाये गये।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(क्षितीश पटेल)  
वैज्ञानिक सहायक

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

  
30/07/2019

  
30/07/2019





क्षेत्रीय कार्यालय  
Regional Office

सन्दर्भ सं०  
Ref. No. ....

1334/HE-92C/19

दिनांक 31/7/19  
Dated : .....20

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

विषय: मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (आसवनी इकाई), गोला गोकर्णनाथ लखीमपुरखीरी के विरुद्ध जारी बंदी निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या-B-76/PCI-III/2K-2K01 दिनांक 22/07/2019 द्वारा इनवायमेण्टल (प्रोटक्शन एक्ट) 1986 के अन्तर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया है जिसकी सूचना इस कार्यालय में दिनांक 30/07/2019 को प्राप्त हुयी है। उक्त बंदी आदेश के अनुपालन में इकाई का विद्युत विच्छेदन हेतु अधिशाषी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगत लि०, गोला लखीमपुरखीरी को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-1332/सह०-92-सी/2019 दिनांक 30/07/2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। उपरोक्तानुसार आपको सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा० राम करन)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रदूषण रोकिए!  
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440  
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 521/सं. 27/मानव अधिकार/2019

दिनांक : 27 6.2019

मा0 मानव अधिकार आयोग प्रकरण

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण भवन, टी0सी0-12 वी0, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36842/सी-6/सा0-132/रा0मा0अधि0/2019 दिनांक 03.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित इकाई चीनी एवं आसवनी(केमिकल डिवीजन) का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 26.06.2019 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

पृ0सं0 एवं दिनांक:-उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय  
(सं. 27/मानव अधिकार/2019)  
(एस0वी0सिंह)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी S/C

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com, ropccbasti@gmail.com

मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स यूनिट बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर मा० उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2019 एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच36842/सी-6/सा०-132/रा०मा०अधि०/2019 दिनांक 03.06.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०,(शुगर एवं केमिकल डिविजन) यूनिट बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर की निरीक्षण आख्या।


उपरोक्त विषयक सरिता(याम प्रधान) ग्राम-शिरसिया व अन्य निवासी जिला-बलरामपुर द्वारा माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी०, जी०पी०ओ० कामप्लेक्स, नई दिल्ली को प्रेषित शिकायती पत्र जो माननीय आयोग द्वारा माननीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित किया गया। उक्त शिकायत मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स यूनिट बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर से फैलने वाले प्रदूषण से संबंधित है। उक्त शिकायत के संदर्भ में मा० उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2019 निम्नवत है-

"The instant complaint of Mrs. Sarita & Other has come transfer from NHRC, vide letter dated 05/03/2019. Keeping in view the nature of allegations made in the complaint it would be appropriate to send a copy of complaint to the Member Secratotary, UP Pollution Control Board, Lucknow who shall look into the matter and do the needful in accordance with law at his end. Action taken may be communicated to this commission within 06weeks. With the above order the complaint stands disposed off."

उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच36842/सी-6/सा०-132/रा०मा०अधि०/2019 दिनांक 03.06.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०,(शुगर एवं केमिकल डिविजन) यूनिट बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर का निरीक्षण अधोहरस्ताधरीगण द्वारा दिनांक 26.06.2019 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०(शुगर डिविजन), जनपद-बलरामपुर- उद्योग एक चीनी उद्योग है तथा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 1932 से उक्त स्थल पर स्थापित है। उद्योग के निरीक्षण के समय श्री राजीव अग्रवाल, जनरल मैनेजर(लीगल एवं पर्सनल) उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य आफ सीजन होने के कारण बंद पाया गया। उद्योग में कच्चे माल के रूप में गन्ना, लाइम एवं सल्फर आदि का प्रयोग करते हुए क्रशिंग, फिल्डेशन, क्लेयरीफिकेशन, एवोपरेशन, सल्फीटेशन, क्रिस्टलीकरण, सेन्ट्रीफ्यूगेशन, शिविंग व पैकिंग आदि प्रक्रियाओं के द्वारा डबल सल्फीटेशन प्रोसेस से चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की गन्ना पेशाई क्षमता 12000 टन/दिन है। उद्योग द्वारा 19.5मेगा वाट उत्पादन क्षमता का को-जनरेशन प्लांट भी स्थापित किया गया है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। उद्योग द्वारा चीनी मिल, आसवनी इकाई एवं को-जनरेशन प्लांट से जनित घरेलू उत्प्रवाह तथा इन उद्योगों के परिसर में स्थापित आवासीय कालोनियों से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस०टी०पी०) स्थापित किया गया है। उद्योग में स्थापित एस०टी०पी० की प्रमुख इकाईयां निम्नवत है-


- i. बार स्क्रीन
- ii. आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप
- iii. इक्वलाइजेशन टैंक
- iv. एम०वी०वी०आर०/एयरेशन टैंक
- v. लामेला क्लैरी फायर
- vi. केमिकल डोजिंग टैंक
- vii. सेटलिंग टैंक
- viii. एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर(ए०सी०एफ०)
- ix. मल्टीग्रेड फिल्टर(एम०जी०एफ०)
- x. स्लज ड्राइंग बेड्स



चित्र सं०-०१: उद्योग में स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट।

औद्योगिक प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। जिसकी प्रमुख इकाईयां निम्नवत हैं-

- i. बार स्क्रीन
- ii. आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप
- iii. न्यूट्रलाइजेशन टैंक
- iv. कूलिंग टावर
- v. इक्वलाइजेशन टैंक
- vi. प्राइमरी क्लैरीफायर
- vii. नाइट्रोजन गैस मिक्सिंग चैम्बर
- viii. एयरेशन टैंक
- ix. सेकेंड्री क्लैरी फायर
- x. क्लोरीन कान्टेक्ट चैम्बर
- xi. एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर(ए०सी०एफ०)
- xii. मल्टीग्रेड फिल्टर(एम०जी०एफ०)
- xiii. स्लज ड्राइंग बेड्स
- xiv. ट्यूब सेटलर
- xv. आर०ओ प्लांट



चित्र सं०-०२: इक्वलाइजेशन टैंक।

*R. K. Singh* *S. K. Singh* *P. Singh* *D. Singh*



चित्र सं०-०३: प्राइमरी क्लेरीफायर।




चित्र सं०-०४: एयरेशन टैंक।




चित्र सं०-०५: सेकेंडरी क्लेरीफायर।

*Ravi* *Ashwari* *Ch* *Qu*





चित्र सं०-०६: एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं सैण्ड फिल्टर।



चित्र सं०-०७: कूलिंग टावर।

*Raj*      *Sharma*      *Arj*      *Ar*



चित्र सं०-०८: आर०ओ० प्लांट।

उद्योग में स्थापित ई०टी०पी० के अंतिम उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर आन लाइन मानीटरिंग व्यवस्था (ओ०सी०ई०एम०एस०) स्थापित है। ओ०सी०ई०एम०एस० को उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध कराया गया है। उद्योग द्वारा ई०टी०पी० के अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर उद्योग से निस्तारित किये जाने वाले शुद्धीकृत उत्प्रवाह की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लो मी० स्थापित किया गया है। उद्योग में शुद्धीकृत उत्प्रवाह के एकत्रण हेतु होल्डिंग लैगून भी स्थापित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चीनी उद्योगो हेतु जारी निर्देश के अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह का अधिकांश भाग प्रक्रिया में पुनः प्रयोग किया जाना है तथा शेष शुद्धीकृत उत्प्रवाह को फर्टिग्रिगेशन हेतु प्रयोग किया जाना है। निरीक्षण के समय उद्योग आफ सीजन के कारण बंद था। इस लिए उद्योग से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं हो रहा था। इसलिए


*[Handwritten signatures and initials]*



डीकन्टेशन, डिस्टिलेशन आदि प्रक्रिया द्वारा रेक्टिफायड रिपरिट/एब्सोल्यूट एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 160 किली०/दिन है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। उद्योग में घरेलू प्रयोजन तथा उद्योग परिसर में स्थापित आवासीय कालोनियों से जनित घरेलू उत्प्रवाह को संयुक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसका वितरण शुगर यूनिट में दिया जा चुका है, में शुद्धीकृत किया जाता है।

औद्योगिक प्रयोजन में डिस्टिलेशन से जनित स्पेण्टवाश के शुद्धीकरण हेतु निम्नलिखित इकाईयां स्थापित हैं-

1. राइजिंग फिल्म मल्टीइफेक्ट इवैपोरेटर
2. इन्सीनरेशन ब्यायलर




चित्र सं०-09: मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर।

स्पेण्टवाश को राइजिंग फिल्म मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर के माध्यम से सान्द्रित किया जाता है। सान्द्रित स्पेण्टवाश को स्लाप के नाम से जाना जाता है। उद्योग द्वारा स्लाप के इन्सीनरेशन हेतु स्लाप फायर्ड ब्यायलर स्थापित किया गया है। स्थापित स्लाप फायर्ड ब्यायलर की वाष्पजनन क्षमता 40टी०पी०एच० है। स्लाप फायर्ड ब्यायलर में 06टन/घण्टा से वैगास तथा 18टन/घंटा की दर से स्लाप का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 70मी० ऊँची धिमनी स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप

R. K. Singh  
S. K. Singh  
D. Singh  
D. Singh

4 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) स्थापित है। उद्योग में स्थापित चिमनी पर आन लाइन मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित है, और इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध किया गया है।



चित्र सं0-10: स्लॉप फायर्ड ब्यायलर, ई0एस0पी0 तथा चिमनी।


उद्योग में औद्योगिक प्रयोजन में प्रयुक्त जल से जनित उत्प्रवाह जैसे एम0ई0ई0 कडन्सेट, स्पेण्टलीज, फ्लोर वाशिंग से जनित उत्प्रवाह एवं लीकेज इत्यादि से जनित उत्प्रवाह अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति का होता है। जिसके शुद्धीकरण हेतु उद्योग द्वारा कडन्सेट पॉलिसिंग यूनिट की स्थापना की गयी है। जिसकी प्रमुख इकाईयां निम्नलिखित हैं-

1. कलेक्शन टैंक
2. न्यूट्रीलाइजेशन टैंक
3. बफर टैंक
4. यू0ए0एस0वी0आर0 डायजेस्टर
5. प्राइमरी क्लेरीफायर
6. एयरेशन टैंक
7. सेकेण्ड्री क्लेरीफायर
8. लामेला क्लेरीफायर
9. एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
10. आर0ओ0 प्लाट
11. स्लज डाइंग बेड

*Print* *Hand* *Q* *Q*




चित्र सं०-11: सीपीयू न्यूट्रीलाइजेशन पिट।




चित्र सं०-12: सीपीयू डायजेस्टर।

*[Handwritten signatures]*



चित्र सं०-13: सी०पी०यू० प्राइमरी क्लेरीफायर।




चित्र सं०-14: सी०पी०यू० एयरेशन टैंक।

*[Handwritten signatures]*

24






चित्र सं०-15: सी०पी०यू० सेकेण्ड्री क्लेरी फायर।



चित्र सं०-16: सी०पी०यू० एक्टिवेटेड कार्बन एण्ड सैंड फिल्टर।





चित्र सं०-17: सी०पी०यू० आर०ओ० प्लांट।

अन्य प्रयोजनों से जनित अल्प प्रदूषणकारी उत्प्रवाह को सी०पी०यू० एवं आर०ओ० प्लांट के माध्यम से शुद्धिकृत कर पुनः प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की सभी इकाईयां कार्यरत पायी गयी। उद्योग में अंतिम उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर वेब कैमरा स्थापित पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि के अनुसार वेब कैमरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध कराया गया है। उद्योग में स्पेण्टवाश की मात्रा की मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर तथा इन्सीनरेशन ब्यायलर में स्लाप के फीडिंग प्वाइंट पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर स्थापित है।

उद्योग में 60किली०/दिन, 40किली०/दिन तथा 60किली०/दिन क्षमता के तीन डिस्टिलेशन कालम स्थापित है। तीनों डिस्टिलेशन कालमों के साथ रिब्यायलर स्थापित है। उद्योग में 280किली० क्षमता के तीन, 263 किली० क्षमता के 04 तथा 320किली० क्षमता के 06 फर्मेंन्टर स्थापित है। उद्योग में सहउत्पाद के रूप पयूजल ऑयल तथा कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर से बाहर किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह का निस्तारण किया जाता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा एन०ए०वी०एल० एक्कीडिटेड लैब से पूर्व में माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2019 में कराये गये वाटर एनालिसिस रिपोर्ट एवं माह अप्रैल में करायी गयी स्टैक एवं एन्विएण्ट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी गयी। जिसमें सभी प्रदूषणकारी अवयवों/प्राचालको की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप है। विश्लेषण/अनुश्रवण आख्या की छायाप्रति संलग्नक-05 के रूप में संलग्न है। उद्योग द्वारा मेसर्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर द्वारा उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के परफारमेन्स के संदर्भ में तैयार की गयी ई०टी०पी० वैलिडेशन रिपोर्ट की प्रति भी निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी गयी। जिसकी छायाप्रति संलग्नक-06 के रूप में संलग्न है।

उद्योग को जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(यथा संशोधित) की धारा-25/26 के अन्तर्गत घरेलू/औद्योगिक उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सशर्त सहमति(जल) दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2019 तक की अवधि

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

सर्वोच्च न्यायालय के पत्र सं०-एच14057/सी-6/सहमति जल/04/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा निर्गत किया गया है। उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत गैसीय उत्सर्जन हेतु सशर्त सहमति(वायु) दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2019 तक की अवधि हेतु सर्वोच्च न्यायालय के पत्र सं०-एच14056/सी-6/वायु सहमति/04/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा निर्गत किया गया है। निर्गत आदेश की छायाप्रति संलग्नक-07 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित उद्योगों के विरुद्ध मिस सरिता (ग्राम प्रधान) ग्राम-सिरसिया व अन्य जिला-बलरामपुर द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित शिकायती पत्र 27.12.2018 में उद्योगों के संचालन से होने वाली बीमारियों के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है-

**"ग्राम-सिरसिया, विशुनापुर, ग्राम-विशुनीपुर एवं मोहल्ला-भगवतीगंज के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। उक्त ग्राम/मोहल्ले के ग्रामवासी/नगरवासी प्रदूषण से संबंधित अनेकों रोगों से ग्रसित होकर गम्भीर बीमारी से मर रहे हैं। सैंकड़ों लोग कैंसर, लीवर एवं नेत्र रोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल सिरसिया ग्रामसभा में ही 150 से 200 लोग गम्भीर रोगों के कारण दम तोड़ रहे हैं।"**

ग्रामवासियों के शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सत्यापन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर से आख्या प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं०-482/सा०-27/2019 दिनांक 10.06.2019 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्नक-08 के रूप में संलग्न है। मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर की आख्या अपेक्षित है।


शिकायतकर्ताओं की शिकायत के निराकरण हेतु शिकायत में उल्लिखित उद्योगों को उद्योग में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के नियमित संचालन एवं उचित रख-रखाव तथा उत्प्रवाह का निस्तारण एवं गैसीय उत्सर्जन सदैव सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं०-483/सी-03/जल-वायु/2019 दिनांक 10.06.2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया था। पत्र की छायाप्रति संलग्नक-09 के रूप में संलग्न है।


चीनी मिल वर्ष 1932 से उक्त स्थल पर स्थापित है। प्रारम्भ में मिल की गन्ना पेरार्ई क्षमता वर्तमान की तुलना में काफी कम रही होगी। जिसके कारण उद्योग में कम ईंधन का प्रयोग होता रहा होगा। फलू गैस उत्सर्जन की मात्रा भी काफी कम रही होगी। वर्तमान में उद्योग की उत्पादन क्षमता पहले की अपेक्षा अधिक हो गयी है। जिससे उद्योग में ईंधन की खपत पहले की तुलना में काफी बढ़ गयी है। जिससे फलू गैस का उत्सर्जन भी बढ़ गया है। आसवनी इकाई वर्ष 1995 से स्थापित है तथा आसवनी इकाई में भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। को-जनरेशन यूनिट में स्थापित ब्यायलर में भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। आसवनी तथा को-जनरेशन प्लांट से भी गैसीय उत्सर्जन होता है। चीनी मिल की स्थापना के समय परिवेशीय वायु गुणता एवं वर्तमान परिवेशीय वायु गुणता में एक रूपता होने की कोई सम्भावना नहीं है। यद्यपि उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित हैं एवं उद्योग द्वारा उनका संचालन भी किया जा रहा है किन्तु फिर भी उद्योग के आस-पास की वर्तमान परिवेशीय वायु गुणता 1932 की परिवेशीय वायु गुणता से भिन्न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 1932 में उद्योग की स्थापना के समय उद्योग के आस-पास आवादी होने की सम्भावना लगभग नगण्य के बराबर रही होगी। वर्तमान में उद्योग के आस-पास आवादी विकसित हो गयी है किन्तु उद्योग बलरामपुर शहर की मुख्य आवादी के मध्य स्थापित नहीं है। निरीक्षण के समय प्रधान ग्राम पंचायत विशुनीपुर जनपद-बलरामपुर व ग्राम प्रधान विशुनापुर व अन्य निवासियों द्वारा अपना लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया जो पत्र के साथ संलग्नक-10 के रूप में संलग्न है। ग्रामवासियों के संलग्न लिखित अभिकथन के अनुसार ग्राम-विशुनीपुर व विशुनापुर के निवासियों को उद्योग के कारण कोई परेशानी नहीं प्रतीत होती है।

यद्यपि उद्योग में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाएं स्थापित हैं। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार उद्योग द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं से उत्प्रवाह निस्तारण/गैसीय उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है किन्तु उद्योग के उत्प्रवाह निस्तारण/गैसीय उत्सर्जन से परिवेशीय वायु गुणता पर आवासीय क्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ताओं के शिकायत के मद्देजर जनहित को ध्यान में रखते हुए दोनों उद्योगों को उद्योग में स्थापित जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के नियमित संचालन, उचित रख-रखाव एवं उत्प्रवाह निस्तारण/गैसीय उत्सर्जन सदैव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु जल(प्रदूषण



निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(यथा संशोधित) की धारा-33ए तथा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अर्न्तगत निर्देश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


  
(पराशर कुमार पाण्डेय)  
प्रयोगशाला सहायक

  
(संतोष कुमार)  
अवर अभियन्ता

  
(विजय)  
पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, महोदय

उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित अग्रसारित।

  
27/6/2019  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी


मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)


संदर्भ- मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि० (केमिकल इकाई) बमनान, गोण्डा की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त संदर्भित उद्योग के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 19.07.2019 को उद्योग प्रतिनिधि डा० एम.के.गौड़ (एजीएम) की उपस्थिति में किया गया | निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया | निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

- 1- उद्योग एक आसवनी उद्योग है तथा वर्ष 2004 से स्थापित/कार्यरत है | उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मोलैसिस का प्रयोग कर फरमनटेशन एवं डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है | उद्योग की उत्पादन क्षमता 100 किलो. /दिन की है | बोर्ड मुख्यालय द्वारा उद्योग को वर्ष 2019 तक सर्त सहमति जल तथा वायु निर्गत है |
- 2- उद्योग द्वारा जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है | निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा सह इकाई शुगर में एसटीपी की स्थापना की गयी है | औद्योगिक कूलिंग हेतु जल का प्रयोग कूलिंग टावर के माध्यम से रिसाइकिल कर पुनः प्रयोग किया जाता है |
- 3- उद्योग द्वारा एल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया से स्पेन्टवाश उत्सवाह के रूप में निकलता है जो अत्यन्त प्रदूषणकारी प्रकृति का होता है | उद्योग द्वारा स्पेन्टवाश उत्सवाह को एकत्रित करने हेतु वर्तमान में एक पक्का लैगून स्थापित है जिसकी क्षमता 4000 किलो. की है | निरीक्षण के समय लैगून में लगभग 25 प्रतिशत स्पेन्टवाश भरा हुआ पाया गया |
- 4- पूर्व में उद्योग द्वारा निम्नीकृत स्पेन्टवाश से जैविक खाद बनाने हेतु वायो कम्पोस्टिंग यार्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 14 एकड़ में स्थापित है (वर्तमान में एमईई. तथा इन्सीनेरेशन ब्याचलर के संचालित होने के कारण जैविक खाद निर्माण कार्य बन्द है) तथा सी.पी.सी.वी. एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उद्योग द्वारा स्टार्म वाटर ड्रेन के पास तथा लैगून पर सी.पी.टी.वी. कैमरा स्थापित है जो निरीक्षण के समय अवलोकित पायी गयी |
- 5- बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.03.2015 के अनुपालन में उद्योग द्वारा एमईई तथा इन्सीनेरेशन ब्याचलर को स्थापित कर लिया गया है | उद्योग से जनित स्पेन्टवाश को उद्योग द्वारा स्थापित 08 स्टेज मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर में लगभग 40 किलो प्रतिघंटा की दर से फीड करते हुए सांद्रित किया जाता है | इसके उपरान्त एमईई द्वारा सांद्रित स्पेन्टवाश को 45 टन प्रतिघंटा क्षमता के इन्सीनेरेशन ब्याचलर में 14-15 टन प्रतिघंटा की दर से फीड करते हुए इन्सीनेरेशन का कार्य किया जाता है तथा शून्य उत्सवाह निस्तारण व्यवस्था मेंटेन की जाती पायी गयी | माँके पर उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त इन्सीनेरेशन की प्रक्रिया से लगभग 40 टन प्रतिदिन ऐश जनित होती है जिसको उद्योग में ऐश स्टोरेज यार्ड में एकत्रित किया जा रहा है व उक्त ऐश में पोटाश की मात्रा होने से सह इकाई मेसर्स बलरामपुर, चीनी मिल्स लि०, दत्तौली, मनकापुर, गोण्डा में पोटाश ग्रेन्यूल के उत्पादन हेतु दिया जाता है |
- 6- उद्योग में उक्त 45 टी.पी.एच. क्षमता के इन्सीनेरेशन ब्याचलर से जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु ब्याचलर से सम्बद्ध लगभग 80 मीटर ऊँची आर.सी.सी. चिमनी की स्थापना की गयी है | उद्योग द्वारा फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु स्थापित चिमनी में पोर्टहोल, सीढ़ी, प्लेटफार्म की व्यवस्था स्थापित पायी गयी एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में बैग फिल्टर की व्यवस्था स्थापित/संचालित पायी गयी |
- 7- पूर्व में उद्योग में स्थापित चिमनी से उत्सर्जित हो रहे फ्लू गैसों का अनुश्रवण कार्य इस कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा निरीक्षण दिनांक 12.12.2018 को किया गया, संलग्न अनुश्रवण आख्या में एम.पी.एम. की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी | उद्योग को बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में उद्योग द्वारा आनलाइन मोनिटरिंग सिस्टम उत्सर्जन विन्दु पर स्थापित/संचालित पाया गया |
- 8- बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में उद्योग से जनित कण्डनशेट वाटर के शुद्धिकरण हेतु उद्योग द्वारा कण्डनशेट पॉलीशिंग यूनिट (सीपीयू) स्थापित है | उक्त कण्डनशेट पॉलीशिंग यूनिट में कमशः इक्वालाइजेशन टैंक, प्लेटेड हीट एक्सचेंजर, चफर टैंक, एनारोबिक अपफ्लो स्लज ब्लैंकट रिफ़ायर, एक्सटेण्डेड एरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लारीफायर, हार्ड रेट सालिड क्रान्टेक्ट क्लारीफायर, सेन्ट्रीफ्यूज, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आर.ओ.सिस्टम, यू.वी.सिस्टम, केमिकल डोजिंग सिस्टम इकाईयों स्थापित/संचालित पायी गयी |

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है |

  
(आर.के.मौर्य)  
सहायक अधिकारी

  
(स्वामी नाथ गौर)  
30-07-19  
क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (एन-ए) महाराज

सन्दर्भ- बलरामपुर चीनी मिल्स लि० (आसवानी इकाई), यूनिट दतौली, मनकापुर, गोण्डा की निरीक्षण आख्या :

उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण दिनांक 19.07.2019 को श्री एम.के.सैनी (चीफ मैनेजर) उद्योग प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया | निरीक्षण आख्या निम्नवत् है--

- 1- उद्योग एक आसवानी उद्योग है तथा वर्ष 2007 से स्थापित है | उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मोलैसेस का प्रयोग कर औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है | उद्योग की उत्पादन क्षमता 100 किली. / दिन की है एवं 6.6 मेगावाट को-जनरेशन विद्युत का उत्पादन किया जाता है | बोर्ड मुख्यालय द्वारा उद्योग को वर्ष 2019 तक सशर्त सहमति जल तथा वायु निर्गत है | निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया |
- 2- उद्योग द्वारा जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है | घरेलू प्रयोजन से जनित बहिस्त्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था उद्योग में स्थापित है | औद्योगिक प्रयोजन में जल का प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक कूलिंग, ब्यायलर फीडिंग, फरमेन्टर वाशिंग तथा मोलैसेस डायलेशन में किया जाता है | औद्योगिक कूलिंग हेतु जल का प्रयोग कूलिंग टावर के माध्यम से रिसाइकिल कर पुनः प्रयोग किया जाता है |
- 3- उद्योग द्वारा एल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया से स्पेन्टवाश उत्पन्न के रूप में निकलता है | उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेन्टवाश को वायो मेथानाइजेशन के पश्चात् नैनो फिल्टरेशन पर आधारित रिवर्स आस्मोसिस प्लान्ट (क्षमता 600 KLD के दो अदद) की स्थापना की गयी है | उक्त रिवर्स आस्मोसिस प्लान्ट (600 KLD क्षमता) एम.ई.ई. तथा इन्सीनरेशन ब्यायलर के संचालित होने के कारण बन्द है |
- 4- उद्योग द्वारा जनित उत्पन्न (स्पेन्टवाश) को भण्डारित करने हेतु 07 दिन की क्षमता का एक पक्का लैगून स्थापित है (कुल भण्डारण क्षमता 5600 क्यूबिक मीटर है) | निरीक्षण के समय लैगून में लगभग 30 प्रतिशत स्पेन्टवाश भरा हुआ पाया गया | शून्य उत्पन्न बनाये रखने हेतु उद्योग द्वारा पक्के लैगून में एकत्रित निम्नीकृत उत्पन्न को कुल बीस एकड़ में तीन स्थानों पर जैविक खाद बनाये जाने हेतु वायो कम्पोस्टिंग यार्ड बनाये गये थे (वर्तमान में एम.ई.ई. तथा इन्सीनरेशन ब्यायलर के संचालित होने के कारण जैविक खाद निर्माण कार्य बन्द है) | केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उद्योग द्वारा ड्रेन के पास तथा लैगून के पास में सी.सी.टी.वी. कैमरा की स्थापना की गयी है |
- 5- उद्योग को बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.03.2015 के अनुपालन में उद्योग द्वारा एम.ई.ई. तथा इन्सीनरेशन ब्यायलर स्थापित कर लिया गया है | पूर्व में निरीक्षण दिनांक 01.03.2017 के समय उद्योग से जनित स्पेन्टवाश को उद्योग द्वारा स्थापित 08 स्टेज मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर में लगभग 40 किली० प्रतिघंटा की दर से फीड करते हुए सांद्रित किया जाता है | इसके उपरान्त एम.ई.ई. द्वारा सांद्रित स्पेन्टवाश को 45 टन प्रतिघंटा क्षमता के इन्सीनरेशन ब्यायलर में 15-16 टन प्रतिघंटा की दर से फीड करते हुए इन्सीनरेशन का कार्य किया जाता है तथा शून्य उत्पन्न निस्तारण व्यवस्था मेंटेन की जाती पायी गयी | उक्त इन्सीनरेशन की प्रक्रिया से लगभग 20-25 टन प्रतिदिन ऐश जनित होती है जिसको उद्योग में ऐश स्टोरेज यार्ड में एकत्रित किया जा रहा है एवं उक्त ऐश में पोटाश की मात्रा होने से ऐश को किसानों को खाद के रूप में प्रयोग करने हेतु दिया जायेगा |
- 6- बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में उद्योग से जनित कण्डनशेट वाटर के शुद्धिकरण हेतु उद्योग द्वारा कण्डनशेट पॉलीशिंग यूनिट (ई.टी.पी.) की स्थापना की गयी है | उक्त कण्डनशेट पॉलीशिंग यूनिट (ई.टी.पी.) में कमशः इक्वालाइजेशन टैंक, प्लेटेड हीट एक्सचेंजर, वफर टैंक, एनारोविक अपफ्लो स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, एक्सटेण्डेड एरेशन टैंक, सेक्रेण्टरी क्लारीफायर, हाई रेट सालिड कान्टेक्ट क्लारीफायर, सेन्ट्रीफ्यूज, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आर.ओ. सिस्टम, यू.वी. सिस्टम, केमिकल डोजिंग सिस्टम इकाईयों स्थापित कर ली गयी है | उक्त स्थापित उत्पन्न शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया |
- 7- उद्योग में उक्त 45 टी.पी.एच. क्षमता के इन्सीनरेशन ब्यायलर से जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु ब्यायलर से सम्बद्ध लगभग 80 मीटर ऊँची आर.सी.सी. चिमनी की स्थापना की गयी है | उद्योग द्वारा फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु स्थापित चिमनी में पोर्टहोल, सीढ़ी, प्लेटफार्म की व्यवस्था स्थापित पायी गयी एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वैग फिल्टर की व्यवस्था स्थापित/संचालित पायी गयी |
- 8- पूर्व में उद्योग में स्थापित चिमनी से उत्सर्जित हो रहे फ्लू गैसों का अनुश्रवण कार्य इस कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा निरीक्षण दिनांक 12.12.2018 को किया गया, संलग्न अनुश्रवण आख्या में एस.पी.एम. की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी | उद्योग को बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में उद्योग द्वारा आनलाइन मानिटरिंग सिस्टम उत्सर्जन विन्दु पर स्थापित/संचालित पाया गया |

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है |

(आर.के. मौर्य)  
सहा०पर्या०अभियन्ता

(स्वामी नाथ राम)  
क्षेत्रीय अधिकारी